

**ग्राम पंचायत बरस्वाण, विकास खण्ड बल्ह, जिला मण्डी के लेखाओं का
अंकेक्षण एवम् निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017
भाग—एक**

1 प्रस्तावना:—

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत बरस्वाण, विकास खण्ड बल्ह, जिला मण्डी के अवधि 1.04.2014 से 31.03.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे:—

प्रधान:—

क्र०सं०	नाम	अवधि
1	श्री प्रेम सागर	1.4.2014 से 31.3.2015 व 3.5.2015 से 25.10.2015
2	श्रीमती निर्मला देवी	22.1.2016 से अद्यतन

सचिव:—

क्र०सं०	नाम	अवधि
1	श्री बेली राम	1.4.2014 से 1.12.2016
2	श्री पवन कुमार	1.12.2016 से 31.3.2017

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:—

ग्राम पंचायत बरस्वाण के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं के अंकेक्षण एवम् निरीक्षण के दौरान पाई जाने वाली/पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:—

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तःशेष में अन्तर	0.03
2	4.2	रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना	—
3	5	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.19
4	6	अनुदानों का उपयोग न करना	21.09
5	7	डाकघर व पशु औषधालय को दिए गए कमरों के किराये की वसूली न करना	—
6	8	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना अनियमित क्रय	1.25
7	9	क्रय सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना	1.45
8	11	बिना उचित वाउचरों के अनियमित व्यय	2.08

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:—

ग्राम पंचायत बरस्वाण, विकास खण्ड बल्ह, जिला मण्डी के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का प्रथम एवम वर्तमान अंकेक्षण श्री विनय कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 11.7.17 से 16.7.17 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवम् व्यय के लिए क्रमशः निम्न मासों का चयन किया गया:—

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2014—15	03 / 2015	02 / 2015
2015—16	12 / 2015	01 / 2016
2016—17	03 / 2017	03 / 2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण ग्राम पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में, अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेशन शुल्क:-

ग्राम पंचायत बरस्वाण, विकास खण्ड बल्ह, जिला मण्डी के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का अंकेशन शुल्क ₹6000 बनता है। उक्त अंकेशन शुल्क की राशि को रेखाकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेशन अध्याचना संख्या 02 दिनांक 16.7.2017 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत द्वारा ड्राफ्ट संख्या 162184 दिनांक 2.8.2017 के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया।

4 वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत बरस्वाण, द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी:-

(1) स्व स्रोत:- ग्राम पंचायत बरस्वाण के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक की स्व: स्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण:-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तशेष
2014-15	120527	38247	158774	65819	92955
2015-16	92955	57975	150930	54334	96596
2016-17	96596	74589	171185	125314	45871

(2) अनुदान:- ग्राम पंचायत बरस्वाण के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 में भी दिया गया है:-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तशेष
2014-15	284013.30	2973333	3257346.30	2964006	293340.30
2015-16	293340.30	2800661	3094001.30	2421915	672086.30
2016-17	672086.30	5536226	6208312.30	4099003	2109309.30

4.1 बैंक समाधान विवरणी:—

स्व: स्रोत:—

दिनांक 31.3.2017 को रोकड़ बही का अन्तशेष	45871
--	-------

अनुदान:—

दिनांक 31.3.2017 को रोकड़ बहियों का अन्तशेष	2109309.30
---	------------

कुल योग	2155180.30
---------	------------

दिनांक 31.3.2017 को विभिन्न बैंक खातों का शेष	2452382
---	---------

(संलग्न परिशिष्ट-II)

दिनांक 31.3.2017 को हस्तगत राशि	362
---------------------------------	-----

कुल योग	2452744
---------	---------

अन्तर	297563.70
-------	-----------

अन्तर का कारण:—

(i) दिनांक 10.10.2016 को खाता सं० 31910107087 में जमा अनुदान	295000
--	--------

(HPSCB Ner Chowk)

(जिसकी रोकड़ बही में प्रविष्टि नहीं की गई थी)

शेष अन्तर	2563.70
-----------	---------

जाँच में पाया गया कि अभी भी पंचायत द्वारा समय पर रोकड़ बहियों के अन्त शेष का, बैंक खातों के अन्तशेष से मिलान न करने के कारण, रोकड़ बहियों के अन्तशेष तथा बैंक खातों के अन्तशेष में ₹2563.70 का अन्तर है जिसका मिलान करने के लिए अंकेक्षण अध्याचना संख्या 001, दिनांक 13.7.17 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत को निर्देश दिए गए परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक मिलान नहीं किया गया जिसका मिलान किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत किया जाए।

4.2 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना:—

ग्राम पंचायत बरस्वाण की रोकड़ बही का अवलोकन करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्तों नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

5 पंचायत राजस्व ₹0.19 लाख वसूली हेतु शेष:—

पंचायत की स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि संलग्न **परिशिष्ट—III** के अनुसार दिनांक 31.3.2017 तक पंचायत के राजस्व/गृहकर ₹19280 की वसूली शेष थी। अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली करना सुनिश्चित किया जाये।

6 अनुदान ₹21.09 लाख का उपयोग न करना:—

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (**परिशिष्ट—1**) के अनुसार दिनांक 31.3.17 तक अनुदान ₹2109309.30 उपयोग हेतु शेष थी। पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-2 सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यापण सम्बन्धित संस्था को किया जाये।

7 डाकघर तथा पशु औषधालय को दिए गए कमरों के किराये की वसूली बारे:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत कार्यालय भवन के भूतल पर डाकघर तथा पशु पालन विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा संचालित राजकीय पशु औषधालय बरस्वाण स्थित है, परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इन विभागों से मासिक किराया प्राप्त नहीं किया जा रहा है जबकि इन विभागों को बिजली व पानी की आपूर्ति के बिलों का भुगतान पंचायत निधि से हो रहा है। अतः किराया वसूली न करने के कारण का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा चालू दरों पर किराया निर्धारित करके सम्बन्धित विभागों को भवन किराये पर देने की तारीख से अद्यतन किराये की वसूली की जाये तथा भविष्य में मासिक किराये की नियमित वसूली सुनिश्चित की जाये।

8 औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही ₹1.25 लाख के सामान का अनियमित क्रय:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्तों) नियम 2002 के नियम 67 (4), 67(5) और नियम 69 में स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएँ वर्णित हैं, चयनित मासों के व्यय के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वाउचर संख्या 577 माह 03/2017 (अनुदान) द्वारा 06 सोलर स्ट्रीट लाईट फिटिंग (Iwatt) मै0 एन्टरप्राइजिज सुन्दर नगर निविदायें आमन्त्रित करके ₹20000 प्रति की दर से खरीदी गई परन्तु फर्मों को निविदा आमन्त्रित करने की सूचना नहीं दी गई तथा विभिन्न फर्मों द्वारा निविदाओं में सामान (Solar Street lights) के माडल, विशेषताएँ भी विभिन्न पाई गई। अतः इस क्रय को नियमित नहीं ठहराया जा सकता। इन स्ट्रीट लाईट्स को प्रदेश सरकार की संस्था हिम ऊर्जा या अन्य दर संविदा (Rate Contract) फर्मों से क्रय न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये। इसके अतिरिक्त वाउचर संख्या 128 माह 02/2015 (सामान्य) द्वारा 87 लंच तथा चाय के लिए (स्वच्छता जागरण अभियान के कार्यक्रम में) ₹55 की दर से ₹4785 का भुगतान किया गया जिसके लिए भी भाव दरें नहीं ली गई, जिस बारे भी औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में सभी सामान का क्रय नियमानुसार सुनिश्चित किया जाये तथा इस प्रकार की अनियमितताओं को सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाये।

9 ₹1.45 लाख की क्रय मदों की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना:—

चयनित मासों के व्यय का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न मामलों में पंचायत द्वारा ₹145220 की क्रय की गई मदों की प्रविष्टि तत्सम्बन्धित भण्डार रजिस्टर में नहीं की गई जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्तों) नियम 2002 के नियम 69, 70 तथा 71 के विरुद्ध होने के कारण अनियमित/आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर की प्रविष्टि भण्डार रजिस्ट्रों में न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए समस्त क्रय की गई मदों की प्रविष्टि भण्डार रजिस्टर में सुनिश्चित की जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत किया जाए:—

क्र०सं०	वा०सं०/माह	विवरण	राशि	अंकेक्षण आपत्ति
1	102 माह 01/16 (सामान्य)	01 रिम A4 कागज बिल संख्या 666 दिनांक 6.1.16	220	स्टॉक प्रविष्टि न करना
2	577 माह, 03/2017 (सामान्य)	06 सोलर स्ट्रीट लाईट्स	120000	—यथोपरि—
3	582 माह, 03/2017 (सामान्य)	20 घन मीटर बजरी 1250 प्रति घन मीटर की दर	25000	—यथोपरि—
कुल योग			145220	

इसके अतिरिक्त क्रम संख्या 2 में निर्दिष्ट क्रय (06 सोलर स्ट्रीट लाईट) की स्थापना को सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित भी करवाया जाये।

10 भुगतान से सम्बन्धित पावती प्रस्तुत न करना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्तों) नियम 2002 के नियम 50 के अनुसार पंचायत द्वारा किये गये किसी भी भुगतान के लिए प्राप्तकर्ता से पावती प्राप्त करके तत्सम्बन्धित वाउचरों के साथ संलग्न करना अपेक्षित है परन्तु चयनित मासों के व्यय के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न मामलों में भुगतान के समर्थन में पावती वाउचरों के साथ संलग्न नहीं पाई गई। अतः इन्हें अब प्राप्त करके अंकेक्षण को अवगत किया जाए तथा भविष्य में सभी भुगतानों की पावतियों का तत्सम्बन्धित वाउचरों के साथ संलग्न किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

क्र०सं०	वा०सं०/माह	विवरण	राशि	अंकेक्षण आपत्ति
1	122 माह 02/15	08 घन मीटर बोल्टर ₹700 प्रतिघन मीटर की दर से	5600	भुगतान की पावती प्रस्तुत न करना
2	125 माह 02/15	25 बैग सीमेन्ट (हि०प्र० आपूर्ति निगम) 206 प्रति बैग	5150	—यथोपरि—
कुल योग			10750	

11 बिना उचित वाउचरों के ₹2.08 लाख का अनियमित व्यय:—

च्यनित मासों के व्यय का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न मामलों में बिना उचित वाउचरों अर्थात् आपूर्तिकर्ता का बिल रसीद आदि के भुगतान किया गया जो अनुचित है। अतः इन भुगतानों की सत्यता की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः अभिलेख प्रस्तुत न करना हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 47 (1) (2) के विरुद्ध है। अतः इस बारे, औचित्य स्पष्ट किया जाये, अन्यथा ₹207820 के अनियमित भुगतान की वसूली उचित स्रोत से करके पंचायत निधि में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

क्र०सं०	निधि का नाम	वा०सं०/माह	राशि	कार्य का नाम
1	सामान्य अनुदान	120 माह 02/15	5600	द्रमक से मण्डागल रास्ते का निर्माण
2	—यथोपरि—	121 माह 02/15	450	—यथोपरि—
3	—यथोपरि—	122, 123 माह 02/15	28074	—यथोपरि—
4	—यथोपरि—	574 माह 03/17	25800	कलवर्ट व रोड सोलिंग पनौलू वार्ड
5	—यथोपरि—	581 माह 03/17	10800	—यथोपरि—
6	—यथोपरि—	582 माह 03/17	25000	—यथोपरि—
7	नरेगा	295 माह 02/15	16940	निर्माण वाटर टैंक बाग गमौल
8	—यथोपरि—	296 माह 02/15	23408	निर्माण पक्का रास्ता पनौल (बाड़ी पीपल से कुन्धी)
9	—यथोपरि—	310 माह 02/15	31108	—यथोपरि—
10	—यथोपरि—	309, 311, 312 माह 02/15	21780	निर्माण वाटर टैन्क बाग गमौल
11	—यथोपरि—	231 माह 01/16	5704	सिंचाई टैंक पखरेडा
12	—यथोपरि—	260 माह 01/16	13156	—यथोपरि—
		कुल योग	207820	

12 विहित रजिस्ट्रों का रख रखाव न करना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, संकर्म, भत्ते, कराधान) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत, विभिन्न रजिस्टर का अनुरक्षण, ग्राम पंचायत द्वारा, अनिवार्य है, परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा रजिस्ट्रों का अनुरक्षण नहीं किया गया

था, जोकि अनियमित एवम आपत्तिजनक है। अतः भविष्य में नियमानुसार निम्न रजिस्ट्रों का रख रखाव करना सुनिश्चित किया जाये।

- (1) अनुदान रजिस्टर
- (2) यात्रा भत्ता जाँच पड़ताल रजिस्टर
- (3) अस्थाई अग्रिम रजिस्टर
- (4) प्रतिस्थापना बिल चैक रजिस्टर
- (5) वर्गीकृत सार (Classified Abstract) रजिस्टर

13 लघु आपत्ति विवरणिका:— अंकेक्षण में पाई गई लघु आपत्तियों का निपटान अंकेक्षण के दौरान कर दिया गया तथा उक्त विवरणिका को अलग से जारी नहीं किया गया।

14 निष्कर्ष:— ग्राम पंचायत बरस्वाण के लेखाओं में व्यापक सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता / —
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620046

पृष्ठांकन संख्या:— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15 (11) 26 / 2017—खण्ड—1—7240—7243 दिनांक 19.12. 2017 शिमला—171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:—

- 1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
- 2 जिला पंचायत अधिकारी, मण्डी, जिला मण्डी, हि0प्र0
- 3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बल्ह, तहसील बल्ह, जिला मण्डी, हि0प्र0
- पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत बरस्वाण, विकास खण्ड बल्ह, जिला मण्डी, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता / —
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620046